... कार्ड संख्या 200000828474 में आस मोहम्मद पुत्र चांदसिंह अंकित है। आधार कार्ड संख्या 7532 7632 4620 में आस मोहम्मद पुत्र चांदसिंह निवासी नागल मेव अंकित है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वादी का सही नाम आस मोहम्मद है। इसके अलावा निर्वाचक नामावली के पहचान पत्र में भी आस मोहम्मद पुत्र चांद सिंह अंकित है। ग्राम पंचायत बनावड द्वारा प्रमाण पत्र जारी किया गया है जिसमें अंकित किया है कि आस मोहम्मद पुत्र चांद सिंह जाति मेव निवासी नांगल मेव का मूल निवासी है। गांव में इसे रोवडा के नाम से भी जानते है। इससे भी वादी का सही नाम आस मोहम्मद प्रमाणित होता है किन्तु राजस्व कर्मचारियो द्वारा विरासत का नामान्तरकरण खोलते समय वादी का नाम रोवडा के नाम से खोला गया है जो गलत है।

वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य से वादी का वाद प्रमाणित होता है तथा वादी का वाद डिकी योग्य पाया जाता है।

आदेश

अतः वादी का वाद डिकी किया जाकर ग्राम नांगल मेव तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 21/0.23, 22/0.04, 33/0.40, 34/0.50, 35/0.40, 40/0.38, 41/0.28, 114/0.44, 115/0.66, 116/0.43, 125/0.41, 114/191/0.01, कुल किता 12 रकबा 4.18 हैक्टयर व खसरा नम्बर 70/0.19, 71/0.24, 72/0.22, 73/0.21, 74/1.10, 75/0.33, 76/0.30, 77/0.41 कुल किता 8 रकबा 3.00 हैक्टयर में खातेदार रोवडा पुत्र चांदसिंह के स्थान पर आस मोहम्मद पुत्र चांदसिंह दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है। राजस्व रिकार्ड में रोवडा का नाम हजफ किया जाकर आस मोहम्मद पुत्र चांदसिंह दर्ज किया जावे। तदनुसार डिकी जारी की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

C.A.

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)

निर्णय आज दिनांक 02-03-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महवा (जिला दौसा)